"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 105] रायपुर, बुधवार, दिनांक 2 मई 2012—वैशाख 12, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 मई 2012

अधिसूचना

क्रमांक 3638/1304/21-ब/छ.ग./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 सहपठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

(1) उक्त नियमों में,—
नियम 5 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि मौखिक परीक्षा में उपस्थित कोई भी अभ्यर्थी तब तक नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा जब तक कि वह मौखिक परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित नहीं करता."

(2) उक्त नियमों की अनुसूची-दो में,—
(एक) अनुसूची-दो के सरल क्रमांक (एक) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
(एक) प्रश्नपत्र-(एक)-विधि (अधिकतम अंक 100)
(क) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
परिसीमा अधिनियम, 1963
छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961
(अधिकतम अंक-25)

(ख) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
भारतीय दण्ड संहिता, 1860
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

(अधिकतम अंक-25)

(ग) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963
भारतीय वन अधिनियम, 1927
वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

(अधिकतम अंक-25)

(घ) अभिवचन के सिद्धांत
अभिहस्तांतरण
भारतीय संविधान

(अधिकतम अंक-25)

(दो) अनुसूची-दो के सरल क्रमांक (तीन) में, अंक "50" के स्थान पर अंक "30" प्रतिस्थापित किया जाये.

(तीन) अनुसूची-दो के सरल क्रमांक (चार) में, अंक "50" के स्थान पर अंक "20" प्रतिस्थापित किया जाये.

Raipur, the 2nd May 2012

NOTIFICATION

No. 3638/1304/XXI-B/C.G./2012.—In exercise of powers conferred by Article 233 read with the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, in consultation with the High Court of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, namely :—

AMENDMENT

(1) In the said rules,—
After proviso to clause (c) of sub-rule (1) of Rule 5 the following shall be added, namely :—

"Provided further that a candidate appearing in viva voce test shall not be eligible for appointment unless he secures minimum 50% marks in viva voce test."

(2) In Schedule-II of the said rules,—
(i) For serial number I of Schedule-II, the following shall be substituted, namely :—
I. Paper-I. Law (Maximum marks-100)
(A) The Code of Civil Procedure, 1908
The Indian Evidence Act, 1872
The Limitation Act, 1963
The Chhattisgarh Accommodation Control Act, 1961

(Maximum marks-25)

(B) The Code of Criminal Procedure, 1973
The Indian Penal Code, 1860
The Prevention of Corruption Act, 1988
The Chhattisgarh Excise Act, 1915
The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989
The Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act, 1985

(Maximum marks-25)

(C) The Transfer of Property Act, 1882
The Indian Contract Act, 1872
The Specific Relief Act, 1963
The Indian Forest Act, 1927
The Wild Life (Protection) Act, 1972
The Environment (Protection) Act, 1986

(Maximum marks-25)

(D) Principles of Pleading
Conveyance
The Constitution of India

(Maximum marks-25)

(ii) In serial number III of Schedule-II, for the figure "50" the figure "30" shall be substituted.

(iii) In serial number IV of Schedule-II, for the figure "50" the figure "20" shall be substituted.

रायपुर, दिनांक 2 मई 2012

अधिसूचना

क्रमांक 3640/1304/21-ब/छ.ग./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 सहपठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. अनुसूची-एक के मद (क) में, सरल क्रमांक (13) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—
"(14) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

(15) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915"

Raipur, the 2nd May 2012

NOTIFICATION

No. 3640/1304/XXI-B/C.G./2012.—In exercise of powers conferred by Article 233 read with the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, in consultation with the High Court of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In item (a) of Schedule-I, after serial number (13), the following shall be added, namely :—

"(14) The Negotiable Instruments Act, 1881

(15) The Chhattisgarh Excise Act, 1915"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.